संपादकीय जागरण
बुधवार, 18 जुलाई, 2018 : आषाढ़ शुक्ल 6 वि. 2075

प्रेम की अनुभूति ही परमात्मा से एकाकार कराती है

भीड़ की भयावह हिंसा

भीड़ के हिंसक व्यवहार के जैसे भयावह मामले सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश पर हैरानी नहीं कि सरकार इसके लिए अलग से कानून बनाने पर विचार करे। बेहतर हो कि यह काम संसद के इसी सत्र में किया जाए। यह ठीक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला कायम हो गया। यह मामला राजनीतिक बढ़त लेने का नहीं, बल्कि एक स्वर से यह संदेश देने का है कि भीड़ की अराजकता स्वीकार नहीं। यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने भीड़ की हिंसा पर रोक लगाने के लिए कुछ दिशानिर्देश भी जारी किए। जब तक भीड़ की हिंसा संबंधी कानून नहीं बनता तब तक केंद्र और राज्य सरकारों को सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के पालन के प्रति तत्परता दिखानी चाहिए। यह काम इसलिए पूरी गंभीरता के साथ होना चाहिए, क्योंकि भीड़ की हिंसा के प्रकरण दुनिया में भारत की बदनामी करा रहे हैं। सभ्य समाज में भीड़ की हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। यह शुभ संकेत नहीं कि जब ऐसे मामले थमने चाहिए थे वे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। निःसंदेह भीड़ की अराजकता के मामले में सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक नई समस्या बनकर उभरा है, लेकिन वाट्सएप सरीखे माध्यमों को दोष देकर कर्तव्य की इतिश्री नहीं की जा सकती। समस्या की जड़ तक जाने और उसे दूर करने की जरूरत है।

अपने देश में भीड़ की हिंसा के मामले नए नहीं हैं। जब कभी कोई संदिग्ध भीड़ के हत्थे चढ़ जाता है तो आम तौर पर उसकी शामत आ जाती है। कई बार भीड़ तुरंत न्याय करने लग जाती है। भीड़ का यह कथित न्याय अक्सर बर्बर रूप में सामने आता है। हाल के समय में पहले गोरक्षा के नाम पर संदिग्ध या फिर निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया फिर बच्चा चोरों को पकड़ने के नाम पर। अज्ञानता, अफवाह के साथ शरारत और वैमनस्य भी इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। आम तौर पर भीड़ की हिंसा के मामलों में लोगों को उकसाने और बरगलाने वालों की पहचान मुश्किल से ही हो पाती है। एक हकीकत यह भी है कि लोग दोषी की पहचान करने अथवा उसके खिलाफ गवाही देने के लिए सामने नहीं आते। नतीजा यह होता है कि ज्यादातर मामलों में दोषी सजा से बच जाते हैं। जब ऐसा होता है तो जाने-अनजाने उन अराजक तत्वों को बल मिलता है जो कानून हाथ में लेने को आमादा रहते हैं। किसी संदिग्ध को दोषी मानकर उसे तुरंत सजा देने की प्रवृत्ति के मूल में कानून के शासन के प्रति उपेक्षा भाव तो है ही, लचर कानून एवं व्यवस्था भी है। भीड़ की हिंसा के कई मामलों में यह सामने आया है कि आपराधिक घटनाओं से परेशान लोग पुलिस से मदद की उम्मीद भी छोड़ चुके थे। स्पष्ट है कि भीड़ की हिंसा के खिलाफ कानून बनाने के साथ ही कुछ और उपाय भी करने होंगे और सबसे प्रभावी उपाय यह संदेश देना है कि किसी को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं और जो भी ऐसा करेगा वह कठोर दंड का भागीदार बनेगा।

कब होगी सख्ती

एक बार फिर नो हेलमेट, नो पेट्रोल अभियान चलाया जा रहा है। योजना है कि दोपहिया वाहन सवार अगर हेलमेट नहीं पहने रहेंगे तो उन्हें पेट्रोल नहीं मिलेगा। चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर पुलिसकर्मियों की भी ड्यूटी लगा दी गई है जो हेलमेट न पहनने वालों का का चालान कर रहे हैं। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों और बनारस समेत यूपी के दूसरे जिलों में भी यह व्यवस्था कई बार लागू की जा चुकी है। लखनऊ में भी यह अभियान कई चरणों में चलाया जा चुका है। सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक चलने वाले इस अभियान की सफलता को लेकर पुलिस आशावान भी है। कुछ पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी से नजर भी रखी जा रही है कि पुलिस और पेट्रोलपंप कर्मी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं कि नहीं। सवाल यहां यह उठता है कि बार-बार चलाया जाने वाला यह अभियान अपने मूल उद्देश्य को हासिल करने में सफल क्यों नहीं हो पा रहा। क्यों अब भी हजारों दोपहिया वाहन चालकों की मौत सड़क हादसे में हेलमेट न पहनने पर हो जाती है।

> पुलिस की सख्ती ऐसी होनी चाहिए कि दोपहिया सवार घर से बाद में निकले, हेलमेट पहले उसके सिर पर हो

कारण कई हैं। प्रमुख है पुलिस विभाग की लापरवाही। जब तक इस तरह के अभियान चलते हैं, पुलिसकर्मी धड़ाधड़ चालान काटते हैं लेकिन, इसके बाद का नजारा फिर पुराने दिनों जैसा हो जाता है। ऐसे अभियान लोगों के भरोसे नहीं चलेंगे। लोग चालान और पेट्रोल न मिलने के डर से ही हेलमेट पहनना पसंद करते हैं। वे हेलमेट पहनने की गंभीरता को समझने को ही नहीं तैयार हैं। चाहे जो अभियान चला लिया जाए, ऐसे लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए अब जरूरत है बहुत कड़ाई करने की। पेट्रोल न देना एक उपाय है लेकिन, यह अंतिम हथियार नहीं हो सकता। लोग तो सख्ती से ही मानेंगे। पुलिस की सख्ती ऐसी होनी चाहिए कि दोपहिया सवार घर से बाद में निकले, हेलमेट पहले उसके सिर पर हो।

कह के रहेंगे

माधव जोशी

जागरण जनमत

कल का परिणाम

क्या पीयूष गोयल के नेतृत्व में रेलवे की स्थिति में सुधार हो रहा है?

आज का सवाल

क्या हिंसक भीड़ से निपटने के लिए अलग कानून बनाने की जरूरत है?

अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर **POLL** लिखें, स्पेस देकर **Y, N** या **C** लिखकर 57272 पर भेजें
Y –हां, **N**–नहीं, **C**–कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है।
सभी आंकड़े प्रतिशत में।

पतन की ओर लोकतांत्रिक संस्कृति

डॉ. एके वर्मा

लोकतांत्रिक-राजनीति सामाजिक व्यवस्था के संचालन की पद्धति है। यदि उससे अपेक्षित परिणाम नहीं आए तो लोगों को किसी बेहतर विकल्प पर विचार करने को मजबूर होना पड़ेगा

संसद का मानसून सत्र शुरू होने के पहले राजनीतिक दलों के बीच तू तू-मैं-मैं के सिलसिले में तेजी पर हैरानी नहीं। हमारे नेता अब आए दिन सामाजिक संस्कारों और मूल्यों को शर्मसार करते रहते हैं। लगता है कि राजनीतिक स्पर्धा में वे यह भूल ही जाते हैं कि विचार, भाषा और अभिव्यक्ति की लक्ष्मणरेखा क्या हो? ग्रामीण-शहरी, गरीब-अमीर, शिक्षित-अशिक्षित, स्त्री-पुरुष इन सभी की राजनीति में गहरी आस्था है, इसलिए राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों के अवांछनीय कार्य, कथन और चिंतन लोगों की आस्था को चोट पहुंचाते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर का हालिया आरोप कि 2019 में भाजपा के दोबारा सत्ता में आने पर लोकतांत्रिक संविधान नहीं बचेगा, मुसलमानों के लिए समानता खत्म हो जाएगी, संविधान हिंदू राष्ट्र का सिद्धांत अपना लेगा और भारत एक 'हिंदू पाकिस्तान' बन जाएगा, इसकी एक ताजा बानगी है। ऐसे मिथ्या, भ्रामक और भयादोहन करने वाले आरोप हमारे लोकतंत्र को किधर ले जाएंगे? ऐसा बयान कांग्रेस पार्टी से आया जिस पार्टी ने लंबे समय तक शासन किया और अब भाजपा के शासन करने पर उसे विस्थापित करने को छटपटा रही है। यह भारतीय लोकतांत्रिक-संस्कृति में गंभीर गिरावट का संकेत है, लेकिन प्रश्न केवल आज का नहीं, भविष्य का है। यदि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो अगले 50 वर्षों में भारतीय लोकतंत्र और राजनीति का क्या स्वरूप होगा? आने वाली पीढ़ी को हम कैसा समाज और संस्कार दे कर जाएंगे? लोकतांत्रिक-राजनीति सामाजिक व्यवस्था के संचालन की पद्धति है। यदि उससे अपेक्षित परिणाम नहीं आए तो लोगों को किसी बेहतर विकल्प पर विचार करने को मजबूर होना पड़ेगा। आज के राजनीतिक व्यवहार पर एक प्रश्नचिन्ह लगा है। उसमें परिवर्तन जरूरी है, लेकिन वह परिवर्तन क्या हो और कैसे आए? किसी समाज का राजनीतिक व्यवहार उसके राजनीतिक ज्ञान पर निर्भर होता है और वह ज्ञान उस समाज की राजनीतिक शिक्षा पर। आज देश में जो राजनीतिक शिक्षा और ज्ञान विभिन्न विचारधाराओं जैसे उदारवाद, वामपंथ और दक्षिणपंथ के रूप में उपलब्ध है वह यूरोप से आयातित है, लेकिन जैसा कि ब्रिटिश विद्वान ईएच कार ने लिखा है, 'कोई भी देश इससे असहमत नहीं कि प्रत्येक बच्चे को अपने देश की राष्ट्रीय विचारधारा में शिक्षित होना चाहिए।'

आखिर वह क्या है जिसे हम भारत में 'आइडिया ऑफ इंडिया' के रूप में जानते हैं? क्या 'अनेकता में एकता' की अवधारणा उसे व्यक्त करती है? या फिर कोई और गंभीर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक अवधारणा उसे परिभाषित करती है? वास्तव में भारत के विचार को यानी 'आइडिया-ऑफ-इंडिया' को समझने के लिए जो प्रारंभिक बिंदु है वहां तक हम जाना नहीं चाहते। वह बिंदु 'वसुधैव-कुटुंबकम' और 'सर्वे भवंतु सुखिनः' का भारतीय दर्शन है। पश्चिम का कोई भी विचारक इन बिंदुओं तक नहीं पहुंचा। हां इंग्लैंड के विचारक बेंथम ने जरूर 'अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख' की परिकल्पना की थी।

अवधेश राजपूत

भारत का लंबा राजनीतिक इतिहास है जिसमें राजनीतिक व्यवहार के दर्शन, सिद्धांतों, मूल्यों और व्यावहारिक सूत्रों का उल्लेख है। पश्चिम में राजनीति के अभ्युदय से बहुत पहले भारत में राजनीति के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का निर्माण हो चुका था। ईसा से 400 वर्ष पूर्व महाभारत और धर्मशास्त्रों में राजनीति का विस्तृत ज्ञान भरा पड़ा है, छठी और सातवीं शताब्दी में पुराणों में राजनीति की विस्तृत विवेचना है। जैन विद्वान सोमदेव सूरी द्वारा 'नितिवाक्यमृत' दसवीं शताब्दी में लिखा गया अनमोल राजनीतिक ग्रंथ है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, भृगु, बृहस्पति, जैमिनी, शुक्र, गौतम, नारद, मनु और असंख्य विद्वानों की रचनाएं हमारे राजनीतिक ज्ञान का अपार स्रोत हैं। विडंबना यह है कि हमारी राजनीति की पाठशाला यूनान के प्लेटो से शुरू होकर इंग्लैंड के जॉन स्टुअर्ट मिल पर खत्म होती है। क्या आज किसी को इसका अहसास है कि ईसा से 500 वर्ष पूर्व लिच्छिवी गणराज्य के संविधान में नागरिकों को स्वतंत्रता देने में हम मिल से आगे थे? स्वयं यूनानी विद्वान मेगस्थनीज ने 325 वर्ष ईसा पूर्व भारतीय 'गणतंत्रों' का उल्लेख किया जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित राजा और द्वि-सदनात्मक व्यवस्थापिका की चर्चा है। हमें अरस्तू के संवैधानिक वर्गीकरण का तो पता है, लेकिन भारतीय विद्वानों द्वारा संविधान के वर्गीकरण-भौज्य, स्वराज्य, वैराग्य, राष्ट्रि, द्वैराज्य और अराजक-का कोई ज्ञान नहीं। जब तक हम विदेशी पाठशाला से निकल कर देसी पाठशाला की ओर उन्मुख नहीं होते तब तक वह राजनीतिक ज्ञान अर्जन संभव नहीं जो भारतीय राजनीतिक व्यवहार परंपरा की आधारशिला रही है और जब तक वह संभव नहीं होता तब तक हमारा राजनीतिक व्यवहार कैसे सुधरेगा?

आज लोकतांत्रिक संस्कृति पतन की पराकाष्ठा पर है। राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों को उस विचारधारा का कोई ज्ञान ही नहीं जिससे वे प्रतिबद्ध होने का दावा करते हैं। जिनको है भी, वे उसके अनुरूप आचरण नहीं करते। वे विचारधारा के अनुरूप व्यवहार करने वाले भी उसके सिद्धांतों और मूल्यों को लेकर गफलत में रहते हैं। इसी कारण विचारधारा और राजनीतिक व्यवहार में एक अंतर्विरोध आ गया है और उसने राजनीतिक संस्कृति को प्रदूषित किया है। दूसरी गिरावट भाषाई है। आज राजनीति में भाषा का जैसा दुरुपयोग हो रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। सोनिया गांधी द्वारा 'मौत-का-सौदागर', मणिशंकर अय्यर का 'चाय-वाला' और 'नीच' तथा थरूर का 'हिंदू पाकिस्तान' जैसे जुमले इसी भाषाई प्रदूषण के संकेत हैं। वह भाषा कहां गई जो विरोधियों और आलोचकों को भी आदर देने पर विवश कर सके? वह भाव कहां गया जिसमें 'असहमत होने पर सौहार्दपूर्ण सहमति' बनाने की क्षमता हो? आज हम अपनी बात ऊपर रखने में लगे हैं, मगर लोकतांत्रिक राजनीति तर्क से नहीं, विमर्श से चलती है जिसमें परस्पर संवाद और श्रेष्ठ विचारों को स्वीकार करने की मर्यादा होती है।

आज जब पारिवारिक-सामाजिक संबंधों को सहेजने की बहुत जरूरत है तब राजनीतिक क्षेत्र में संबंधों को खोकर तर्कों से विजय प्राप्त करने से बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? जिस तरह संसद एवं विधानसभाओं और टीवी की बहसों में गिरावट आई है उसका मूल्य देश को नफरत, वैमनस्यता और शिष्टाचार में भारी गिरावट के रूप में चुकाना पड़ रहा है। ऐसी लोकतांत्रिक राजनीति के प्रति वर्तमान और भावी पीढ़ी कैसे निष्ठा बनाए रख सकती है? हम लोकतंत्र के सशक्त हथियार आलोचना को आरोपों में बदल रहे हैं। आलोचना से लोकतंत्र सशक्त, परंतु आरोपों से कमजोर होता है। आलोचना का जवाब दिया जा सकता है, आरोपों का नहीं जैसा कि थरूर के मामले से स्पष्ट है। सभी नागरिकों, दलों और नेताओं को सोचना होगा कि देश की राजनीतिक संस्कृति में गुणात्मक परिवर्तन हेतु विदेशी सिद्धांतों की बैसाखी ही चलेगी या हमें अपनी जड़ों की ओर भी देखने की जरूरत है?

(लेखक सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स के निदेशक एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं)

response@jagran.com

सेना से टकराते नवाज शरीफ

कुलदीप नैयर

जब आखिरी शब्द फौज की ओर से ही आने हैं तो नवाज शरीफ पर लगे आरोप सही नहीं भी हो सकते

पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को सजा सुना दी। इस फैसले के बारे में आम राय है कि यह काफी कठोर है। उनके साथ उनकी बेटी मरयम नवाज को भी सजा सुनाई गई है। इस फैसले के वक्त नवाज शरीफ बेटी मरयम के संग लंदन में इलाज करा रहीं अपनी पत्नी के पास थे। वह लंदन से जैसे ही पाकिस्तान लौटे उन्हें और उनकी बेटी को विमान से बाहर आने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल दोनों जेल में हैं। ऐसा लगता है कि एक बार फिर गैर-फौजी शासकों और फौज के बीच टकराव बढ़ रहा है। शायद फौज को यह पसंद नहीं आया कि लोगों ने मजबूती से अपनी बात रखनी शुरू कर दी है। नवाज शरीफ खाकी वर्दी का समर्थन करने वालों के हाथों का औजार बनना नहीं चाहते थे। यह मानने के पर्याप्त कारण हैं कि पाकिस्तानी फौज को यह आभास हो गया था कि यदि नवाज शरीफ की सत्ता में वापसी हुई तो उसके प्रभुत्व के लिए चुनौती पैदा होगी। मैंने नवाज शरीफ से लंदन के बीचोबीच स्थित उनके आलीशान मकान में मुलाकात की थी। उनकी अमीरी से मुझे अचरज नहीं हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप के कई नेताओं के फ्लैट इंग्लैंड में हैं। अंग्रेजों के शासन ने उनके दिल में यह बात बैठा दी है कि लंदन का मतलब विलासिता और ताकत है। नवाज शरीफ के पास इतना पैसा है कि वह जुर्माने से भी अधिक रकम आसानी से चुका सकते हैं। नवाज शरीफ ने मुझे नाश्ते पर बुलाया था, लेकिन मेज पर मांसाहार के बेहतरीन पकवान थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में उनके परिवार के कई कारखाने हैं। इसलिए मुझे इससे कोई अचरज नहीं हुआ कि उनकी पत्नी और बेटी के एक-एक फ्लैट लंदन में हैं। जहां तक नवाज शरीफ के खिलाफ लगे आरोपों की बात है, उनकी सच्चाई का पता लगाना मुश्किल है। जब आखिरी शब्द फौज की ओर से ही आने हैं तो आरोप सही नहीं भी हो सकते। बेशक पाकिस्तान में न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन उसे ऐसे हालात से बच कर रहना पड़ता है जो फौज को चुनौती की तरह लगे। माना जाता है कि दबाव और धमकियों के बावजूद दो जजों ने जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा दिए जाने का विरोध किया था। बाद में उन्होंने चुपके से देश छोड़ दिया था, क्योंकि उन्हें अपनी हत्या का डर था।

नवाज शरीफ अपने खिलाफ आए फैसले से भागना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा भी था कि वह पाकिस्तान वापस जाएंगे और सजा का सामना करेंगे। लोकप्रिय बने रहने के लिए नेताओं को ऐसी कीमत चुकानी पड़ती है। नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं लौटते तो लोगों को लगता कि वह अपने विरोध में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की परवाह नहीं कर रहे। एक समय था जब देश चलाने में भूमिका मांग रही फौज के हमलों से अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था की रक्षा के लिए पाकिस्तान के लोग सड़कों पर उतर आए थे। आज वे ही लोग यह चाहते हैं कि लोकतांत्रिक ढांचे के बचे-खुचे हिस्से के लिए फौज लोगों के बचाव में आए। इसे लोगों ने प्रत्यक्ष तौर पर तब देखा भी था जब प्रधानमंत्री पद पर रहते समय नवाज शरीफ सहयोग के आग्रह के साथ सेनाध्यक्ष जनरल राहिल शरीफ से मिले थे। नवाज शरीफ ने सोचा था कि एक गैर-फौजी प्रधानमंत्री के रूप में फौजी सहायता मांग कर वह आसानी से बच निकल सकते हैं, लेकिन फौज ने एक प्रेस बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री ने जो आग्रह किया था उसे फौज ने ठुकरा दिया गया है। फौज की दलील थी कि एक लोकतांत्रिक ढांचे में फौज की परंपरागत भूमिका देश की रक्षा की है, उसे चलाने की नहीं।

वास्तव में पद से हटाए गए नवाज शरीफ ने खुद ही मुसीबत मोल ली है। उनके कुशासन ने लोगों को उनसे दूर कर दिया है। नवाज शरीफ चाहते थे कि उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ भी पद छोड़ें और मध्यावधि चुनाव कराए जाएं। शहबाज शरीफ उनके भाई हैं। हालांकि नवाज शरीफ ने अपने समर्थन का प्रस्ताव संसद से पारित करा लिया, लेकिन इससे हालत सुधारने में कोई मदद नहीं मिली। तहरीक-ए-इंसाफ के इमरान खान और पाकिस्तान आवामी तहरीक के कादरी उनके विरोध में हैं।

नवाज शरीफ का विरोध करने वाले कुछ नेताओं ने मध्यावधि चुनाव की मांग की थी। उनका कहना था कि लोग फिर से तय करें कि वे नवाज शरीफ को देश चलाने देना चाहते हैं या किसी और को? अधिक दिन नहीं हुए जब फौज ने नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद से नीचे उतारा था। उन्होंने यह नहीं समझा कि जब भी जरूरत होगी, फौज तख्ता पलटने से हिचकेगी नहीं। यही वजह है कि नवाज शरीफ ने अपने बयानों में संसदीय लोकतंत्र का जिक्र किया ताकि इस पर जोर दिया जा सके कि सेना की भूमिका ज्यादा से ज्यादा, अस्थाई होगी। मैं बंटवारे के बाद पहली बार नवाज शरीफ से दिल्ली में मिला था जब वह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि मैं सियालकोट से हूं। उनके मुताबिक मेरी पंजाबी में एक विशेष किस्म का जायका है-एक खास उच्चारण है जो सिर्फ सियालकोट के रहने वालों की बोली में होता है।

लाहौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवाज शरीफ से मुलाकात से एक नए अध्याय की शुरुआत होनी चाहिए थी। अगर दोनों देशों ने दोस्ती बढ़ाई होती तो आज हालात अलग होते। दोनों के बीच पूंजीगत माल के आयात और निर्यात का व्यापार दुबई होकर करने के बदले अपनी सीमाओं के जरिये होना चाहिए था। अपनी पाकिस्तान यात्रा के बाद के मोदी ने बयान दिया था कि इस तरह की बातें अब सामान्य तौर पर होंगी और वे एक-दूसरे के देश में बिना सरकारी शिष्टाचार के आते-जाते रहेंगे। यह पहले ही हो जाना चाहिए था। तब ऐसा लगा था कि मोदी अटल बिहारी वाजपेयी की राह पर चल रहे हैं। लाहौर यात्रा के बाद वह वाजपेयी से मिले थे जो भाजपा में एक उदार चेहरा माने जाते हैं। वह अब शारीरिक रूप से अक्षम हैं, लेकिन उन्होंने अपने हाव-भाव से बताया था कि मोदी ने वही किया है जो कुछ वह खुद करते। मोदी के शासन में वह भावना दिखाई देनी चाहिए थी।

भले ही नवाज शरीफ दस साल की सजा का सामना कर रहे हों, लेकिन पाकिस्तान में लोग इसके कुछ ठोस सबूत देखना चाहेंगे कि शरीफ और उनके परिवार ने भ्रष्टाचार किया था।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन

परमात्मा रचित सृष्टि में नूतनता, स्फूर्ति और उत्साह प्रचुरता में सर्वत्र व्याप्त है। सूर्य डूबकर अंधेरे में विलीन हो जाता है, किंतु अगली सुबह उसी ओज के साथ उदित होता है। चंद्रमा हर रात गगन में मुस्कराता दिखता है। पेड़ के सारे फल व पत्ते झड़ कर नीचे गिरे होते हैं, पर तना वैसे का वैसा ही गौरव भाव से खड़ा रहता है। जीव के साथ भी यही सच संबद्ध है। मृत्य को जीवन का सबसे बड़ा दुख माना जाता है, पर वह भी जीवन पर विराम नहीं है। मृत्यु नए जीवन का मार्ग प्रशस्त करने वाली है। जीवन में सुख ही नहीं दुख भी है। दुख मनुष्य को विचलित कर देते हैं और वह निराशा के अंधेरे में चला जाता है। इस कारण वह कई बार अपने लक्ष्य से भटक जाता है। मनुष्य की निराशा का कारण उसमें ज्ञान का अभाव है। वह ज्ञान अपने अंतस को जाग्रत करने से मिलता है। अपने को उन ईश्वरीय तत्वों को समझने से मिलता है, जो ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में प्रकट हो रहे हैं। ये तत्व अवसान और उत्थान का संदेश कदम-कदम पर दे रहे हैं, जिन्हें ग्रहण करने से सारे संवेग स्वतः ही शांत हो जाते हैं।

जो ब्रह्मांड में घटित हो रहा है, वही हमारे अंदर चल रहा है। इसीलिए मनुष्य के तन को ब्रह्मांड का ही लघु रूप कहा गया है। सृजन और क्षरण की प्रक्रिया मनुष्य के भीतर भी निरंतर चलती रहती है। पुरातन विचार दृढ़ता से कहता है कि यदि तन की सामान्य प्रक्रिया में कोई अवरोध आ गया है तो स्वतः सुधार से वह दूर भी हो जाएगा। समस्या तो तब उत्पन्न होती है, जब मनुष्य उतावला हो जाता है और जीवन पद्धति में कृत्रिमता का प्रवेश हो जाता है। आज जितने सुख हैं, उससे अधिक दुख हैं और मनुष्य उतना ही अधिक अधीर हो गया है। यह हताशा को स्वयं आमंत्रण देना है।

संसार में जो कुछ भी दृश्यमान हैं, वे सभी नाशवान हैं। नाशवान से मोह लगाना और उसके पीछे जीवन भर की ऊर्जा लगा देना विवेकसम्मत नहीं है। सृष्टि का सृजन जिन तत्वों से हुआ है, वे सभी प्रवाहमान हैं। बाधित होना विकृति पैदा करता है। जीवन में भी प्रवाह बनाए रखने से ही नई ऊर्जा और उत्साह मिलता रहता है। वर्तमान से मोह और संग्रह की प्रवृत्ति से बचकर दुखों से निवृत्ति पाई जा सकती है। इससे जीवन का हर पल नया और आशान्वित करने वाला साबित होगा।

डॉ. सत्येंद्रपाल सिंह

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

समर्थन मूल्य आदि से परे भी है कृषि

डॉ. भरत झुनझुनवाला का लेख 'समर्थन मूल्य की दोधारी तलवार' अधूरा प्रतीत हो रहा है। आज के विद्वान लेखक और कृषि वैज्ञानिक इस बात का उत्तर दें कि हरित क्रांति, जिसने खेती को महंगा बनाया और किसान को कर्ज लेने की ओर अग्रसर किया, से पूर्व कृषकों द्वारा आज के समान आत्महत्याएं क्यों नहीं की जाती थीं? प्राचीन भारतीय कृषि सस्ती थी और दुनिया का पेट भरती थी। इब्न बतूता (14वीं शताब्दी), फ्रेंकोय बर्नियर (17वीं शताब्दी) और एलेक्जेंडर वॉकर (19वीं शताब्दी) जैसे भारत-भ्रमणकर्ता विद्वानों के वृतांत पढ़िए। ये सभी यहां खेती की विपुल पैदावार और सस्तेपन से सम्मोहित हुए थे। इनसे पहले के मेगस्थनीज, स्ट्राबो, हेरोडोटस, फाहियान, ह्वेन सांग और अलबरुनी के वर्णन भी इन जैसे ही हैं। हजार साल पहले भी एक हेक्टेयर भू-क्षेत्र में 20 टन के बराबर धान के उत्पादन के प्रमाण सर्वत्र उपलब्ध हैं। यह आज भी जादुई आंकड़ा है। इसे देसी गौ-आधारित खेती करने वाले किसान ही वर्तमान युग में भी छू अथवा बेहतर कर पाए हैं। उक्त विद्वानों में से भी कई ने भारत के गाय-बैल को ही इस विपुलता का कारण बताया है। आज यह बात अगर हमारे कृषि नीति-नियंताओं और विद्वानों-वैज्ञानिकों को स्पष्ट हो जाए और वे खेती में आमूलचूल बदल लाकर रसायनों को विदा दे दें, तब और केवल तब ही भारतीय कृषि विश्व में अपना डंका फिर से बजा सकेगी।

अजय मित्तल, मेरठ

दुष्कर्म, दरिंदगी और हत्या

बड़े शर्म, दुःख और आश्चर्य की बात है कि आज दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, दरिंदगी और उसके बाद निर्मम हत्याओं की बाढ़ सी आ गई है, जिसकी चपेट में एक नन्ही बच्ची से लेकर विक्षिप्त, विधवा, वृद्धा भी आ गई हैं। विद्या के मंदिर स्कूल भी इससे वंचित नहीं रहे। इन घटनाओं से बच्चियों के माता-पिता, सगे-संबंधी और पूरा समाज ही भयभीत और चिंतित है। यही नहीं आज नन्हे बच्चों के साथ भी दुष्कर्म की घटनाएं भी आम हो गई हैं। इससे यह साफ है कि देश का शासन और समाज किस ओर जा रहा है।

vedmamurpur@gmail.com

माया में फंसे संत-महंत

महात्मा या संत बनने के लिए किसी परीक्षा या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन, आज के इस स्वयंपोषित समाज में सभी को पद और लाभार्थ ही दिखाई देता है। कुछ कथित महात्माओं और बाबाओं के चक्कर में नेता और अभिनेता भी चक्कर लगाते रहते हैं। कुछ नेता इन ढोंगी बाबाओं से जुड़कर अपना वोट बैंक मजबूत करने की फिराक में रहते हैं। क्या सन्यासियों को भी किसी पद प्रतिष्ठा का मोह होता है? जनता इस बात को जिस दिन समझने लगेगी उसी दिन से ढ़ोंगियों की दुकानें बंद होनी शुरू हो जाएंगी। किसी का जब भी मन करता है बाबा बनकर लोगों को ठगने में लग जाता है, इससे महात्माओं पर से भी लोगों का भरोसा खत्म होता जा रहा है।

ramdevtanwar@gmail.com

सही प्रदर्शन का गलत तरीका

दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे संगठन दूध की गाड़ियों को जला रहे हैं। सड़कों पर दूध की बर्बादी की जा रही है। कीमत की बढ़ोतरी को लेकर इन संगठनों की मांग निश्चित तौर पर जायज हो सकती है, लेकिन जिस तरह से लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उसे दूध व्यापार पर आश्रित रहने वाले दुग्ध व्यापारियों का नुकसान हो रहा है, जो इसी दूध के माध्यम से अपनी रोटी रोजी का इंतजाम करते हैं। उनके लिए 1 दिन या 2 दिन की कमाई का नुकसान होना भी बड़ी बात है। इसलिए इन संगठनों को मांगों को लेकर सही ढंग से प्रदर्शन करना चाहिए।

neerajjha7533@gmail.com

शरीयत कोर्ट का विरोध क्यों?

आजकल हमारे देश में शरीयत कोर्ट का मामला बहुत जोरों पर है। कई नेताओं व उलेमाओं का कहना है कि मुसलमानों के आपसी झगड़ों को सुलझाने के लिए शरीयत कोर्ट का होना बहुत जरूरी है। लेकिन, आज के हालात के हिसाब से भी देखा जाए तो शरीयत कोर्ट आज कि जरूरत है। न्यायालयों में जिस तेजी से मुकदमों की तादाद बढ़ रही है उसे देखकर यह कदम कोई गलत नहीं है। अगर भारतीय न्यायिक व्यवस्था कि बात कि जाए तो अदालतों में जिला स्तर पर ही बहुत अधिक मामलें लंबित हैं तथा तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण अब तलाक के मामले भी कोर्ट में पहुंचने शुरू होने लगेंगे। शरीयत कोर्ट के खुलने से मुसलमानों के आपसी झगड़े पहले शरीयत कोर्ट में जाएंगे और अगर कोई शरीयत कोर्ट के फैसले से खुश नही होता है तो अदालतों के दरवाजे तो हर व्यक्ति के लिए हमेशा खुले हैं।

imohdali90@gmail.com

बच्चों से दरिंदगी

आए दिन स्कूल में बच्चों के साथ हो रही घटनाएं शिक्षा जगत को शर्मसार कर रही हैं। ऐसे कई मामले रोज देखने को मिल रहे हैं जिनमें छात्रों के साथ शारीरिक शोषण, यौन दुर्व्यवहार, हत्या जैसी घटनाएं शामिल हैं। कुछ महीने पहले ही गुरुग्राम में सात साल के प्रद्युम्न की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, वहीं दिल्ली में स्कूल की फीस जमा नहीं करने पर प्राथमिक विद्यालय की 16 बच्चों को बेसमेंट में बंधक बना लिया गया। अब ग्रेटर नोएडा में नर्सरी की छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

archanagitakeshri@gmail.com

ट्वीट-ट्वीट

हिंसक भीड़ से निपटने के लिए अलग कानून की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार को शर्मसार करने वाली है। इसने पीएम और मंत्रियों को भी आईना दिखाया है।
सीताराम येचुरी@SitaramYechury

क्या पूजा का पुष्प कलश उठाए यह तस्वीर सीताराम येचुरी की है या फिर किसी धर्मांध, गाय और वानर की पूजा करने वाले अर्धबर्बर हिंदू की जिसके बारे में कार्ल मार्क्स ने 25 जून 1853 को न्यूयॉर्क टाइम्स में आलेख लिखा था। क्या सेक्युलर, लिबरल, नास्तिक और हिंदू विरोधी बुद्धिजीवी इस तस्वीर पर प्रतिक्रिया देंगे?
एस गुरुमूर्ति@sgurumurthy

ओवैसी पूछ रहे हैं कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी इत्यादि में कितने मुसलमान हैं? मैं इसका जवाब दे सकता हूं कि एक बार जब आप वर्दी पहन लेते हैं तो दूसरी सभी पहचानें बेमानी हो जाती हैं। इन सुरक्षाबलों में कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई नहीं होता, बल्कि वे सभी भारतीय होते हैं।
मेजर गौरव आर्या@majorgauravarya

क्रोएशिया से भारत के हालात खराब बताने वाले हरभजन सिंह क्या यह बता सकते हैं कि क्रोएशिया कहां स्थित है? आखिर क्रोएशिया कैसे अलग देश बना? सांप्रदायिक सौहार्द पर ज्ञान बघारने से पहले वह कृपया इन तथ्यों को भी देख लें।
अभिनव प्रकाश@Abhina_Prakash

जनपथ

असुरक्षित हैं देश में अपने सैफ नवाब,
कर्ज 'पद्मश्री' का अदा करने चले जनाब।
करने चले जनाब सोच हो जब 'तैमूरी',
रहने की इस देश भला फिर क्या मजबूरी!
करे न जो सरकार 'खान साहब जी' का हित,
उसे समझते आप देश के हित असुरक्षित।
– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित, संपादक (दिल्ली एनसीआर) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 23359961-62, नोएडा कार्यालय : 0120-3915800, **E-mail: delhi@nda.jagran.com,** R.N.I. No 50755/90 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। **वर्ष 29 अंक 1**